दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

महिला से राह चलते गंदे इशारे कर छेड़खानी, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी कनकबीरा में दिनांक 15.12.19 को 21 वर्षीय विवाहिता द्वारा गांव के खीरसागर निषाद द्वारा छेड़खानी करने तथा अमर्यादित टीका टिप्पणी करने के संबंध में शिकायत आवेदन दिया गया है। पीडिता बतायी कि गांव का खीरसागर निषाद शादीसुदा है, खीरसागर निषाद करीब डेढ माह पूर्व से गांव में आते-जाते अकेली देखकर गंदे इशारे बाजी करता है और मोबाईल से बात करने के लिये कहकर दबाव बनाता है। दिनांक 12.12.19 को खीरसागर निषाद शाम 07:00 बजे महिला के घर आकर उसके पति के सामने तुझे लेने आया हूं कहने लगा जिसे दोनों डांट फटकार घर से भगाये। उसके बाद भी खीरसागर निषाद के हरकतों में कोई सुधार नहीं आया , पीड़िता व उसके पति द्वारा घर परिवार में सलाह मशवीरा कर दिनांक 15.12.19 को खीरसागर निषाद के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर चौकी कनकबीरा, थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 645/19 धारा 354(घ), 509 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी खीरसागर निषाद अपराध कायमी बाद गांव से फरार है ,जिसकी पतासाजी की जा रही है।

युवती तथा उसके परिजन को मोबाईल पर धमकी, मोबाईल कॉलर पर अपराध दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल में दिनांक 15.12.19 को 24 वर्षीय युवती द्वारा अज्ञात मोबाईल नम्बर 702479xxxxx, 626341xxxxx के धारक के विरूद्ध उसे तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने संबंधी आवेदन पत्र दिया गया है। पीडिता ने बताया कि करीब 03 साल पहले अज्ञात मोबाईल नम्बर से कॉल आया था, जिससे औपचारिक बातचीत हुई थी, उसके बाद लड़का अपने प्रेम का इजहार करने लगा। तब उसके नम्बर को ब्लॉक कर अपना मोबाईल नम्बर बदल दी। अज्ञात व्यक्ति इसके बहन और रिस्तेदारों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उनके नम्बर पर गाली गलौज कर मारने की धमकी देकर परेशान कर रहा है। युवती के आवेदन पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चौकी जुटमिल, थाना कोतवाली में अप.क्र. 1070/19 धारा 507 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

21 दिसम्बर को कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत संबंधित निकाय क्षेत्र के श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए मतदान हेतु अवकाश

न्याय साक्षी/रायगढ़। आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत संबंधित निकाय क्षेत्र के श्रमिक एवं कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात 21 दिसम्बर 2019 दिन शनिवार को अवकाश घोषित करता है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते है वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिए जाने का निर्देश दिया है।

नगरी निकाय चुनाव के मद्देनजर शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च

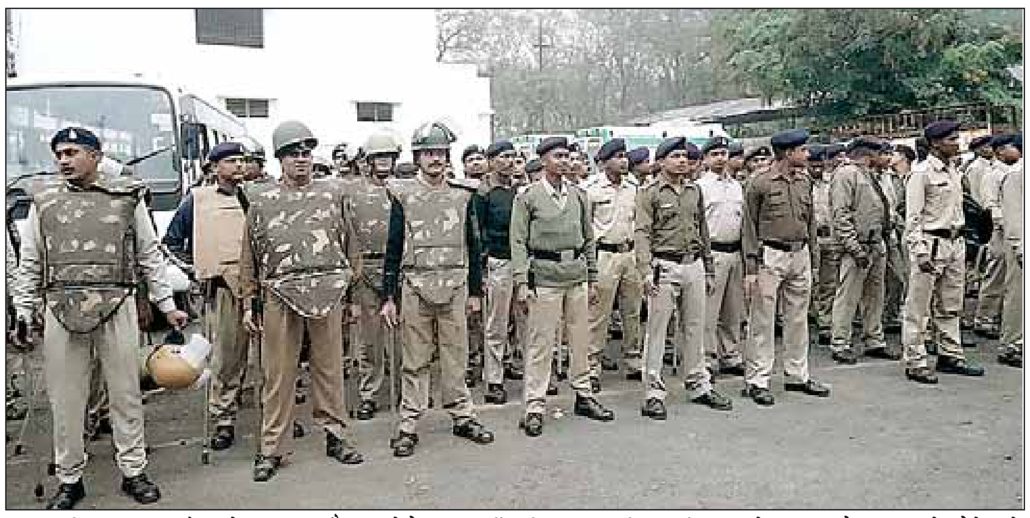

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय चुनाव 2019 में मतदान तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। जिले में चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल एसपी रायगढ़ अभिषेक वर्मा अगुवायी में शहरवासियों को सुरक्षा का बोध कराने के लिये आज दिनांक 16.12.19 को जिला पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी वर्मा , एएसपी ट्राफिक आर.के. मिंज एवं नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा शहर के थाना/चौकी एवं रक्षित केंद्र के बल एवं 6वीं सशस्त्र वाहिनी रायगढ़ से प्राप्त जवानों को पुलिस कंट्रोल रूम में शाम को ब्रीफ कर शहर के प्रत्येक प्रमुख चौंक पर फिक्स पैकेट की ड्यूटी लगायी गई। यह पिक्स पैकेट चुनाव तक प्रतिदिन बने रहेंगे तथा शहर में पेट्रोलिंग पार्टी की संख्या भी बढ़ाई गई। उसके पश्चात शाम करीब 6:00 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च प्रारंभ किया गया। मार्च फ्लैग मार्च अपने रूट कंट्रोल रूम से होते हुये टीवी टावर, बोईरदादर, बेलादुला, जूटमिल क्षेत्र का भ्रमण कर वापस शहर के सुभाष चौक, स्टेशन रोड, कलेक्ट्रेट बंगला रोड़ से होते सतीगुड़ी चौक से कोतरारोड, ढिमरापुर रोड से वापस कंट्रोल रूम में जाकर फ्लैग मार्च का समापन हुआ । इस फ्लैग मार्च में शहर के थाना/चौकी प्रभारी एवं उनके स्टाफ तथा 6वीं सशस्त्र वाहिनी रायगढ़ से प्राप्त 100 जवान शामिल थे।

मोबाइल शॉप में चोरी के मामले में अपचारी बालक सहित एक युवक एवं खरीददार गिरफ्तार

» चोरी के 14 नग मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक सहित 25 हजार रूपये का सामान बरामद

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले राजेश कुमार साहू उम्र 29 वर्ष द्वारा दिनांक 14.12.19 को थाना सारंगढ़ में उसके अम्बिका मोबाईल शॉप, गुरूघासीदास पुष्प वाटिका के बगल में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, रिपोर्टकर्ता ने दिनांक 13-14.12.2019 के रात्रि अज्ञात आरोपियों द्वारा दुकान के सटर का ताला तोड़कर दुकान से ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए दिये गये कुल 14 नग मोबाईल तथा मोबाईल चार्जर, पावर बैंक आदि को चोरी कर ले गया था, चोरी की रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 344/19 धारा 457,380 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अपराध की कायमी बाद थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान द्वारा क्षेत्र में अपने सक्रिय मुखबिरों को माल मुल्जिम के संबंध में पतासाजी के लिये निर्देशित किये, चंद घंटे बाद ही मुखबिर से छोटे मुडपार सारंगढ़ के एक युवक हेमंत चौहान तथा अपचारी बालक के संबंध में मोबाईल चोरी कर सारंगढ़ के परसदा में बिक्री करने की सूचना मिला जिस पर सारंगढ़ स्टाफ द्वारा दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, दोनों ने राजेश कुमार साहू की

मोबाईल शॉप से मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक आदि चोरी कर परसदा के रामानंद पटेल के पास बिक्री करना बताये। आरोपी हेमंत चौहान के मेमोरेण्डम पर 14 नाग पुराना मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक जुमला कीमती रू. 25,000 को जप्त किया गया है। आरोपी हेमंत चौहान पिता डोरीलाल चौहान उम्र 25 साल एवं चोरी की संपत्ति के खरीददार रामानंद पटेल पिता केशव प्रसाद पटेल उम्र 41 वर्ष निवासी परसदा छोटे थाना सारंगढ़ को आज विधिवत गिरफ्तार कर जेएमएफसी सारंगढ़ के न्यायालय तथा बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड पेश किया गया है।

वनांचल के कलाकारों की राजधानी में धूम

» ओपन एवं ओवर ऑल कैटेगरी में राज्यभर में रहे प्रथम

» एक लाख रुपए का मिला इनाम

रायपुर। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में कोण्डागांव जिले के ग्राम बिंझे और चिखलाडीही के लोक नर्तक दलों ने ओपन और ओवरऑल सभी कैटेगरी में पहला स्थान पाकर जिलेभर का नाम रौशन किया है। ज्ञात हो कि राजधानी रायपुर मे राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन साऊथ सेन्ट्रल पार्क में सम्पन्न हुआ। जिसमें राज्य के सभी जिलों से चयनित प्रदेश के 710 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा राज्य की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध जनजाति संस्कृति को दर्शातें हुए लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया।

इस आयोजन मे कोण्डागांव जिले के केशकाल विकासखण्ड अतंर्गत ग्राम बिझें, कानागांव और चिखलाडिही के दो लोक नृतक दलो द्वारा क्रमश ''हुलकी और गौरमार मांदरी नृत्य'' की प्रस्तुतियां दी गई और महोत्सव मे ओपन कैटेगरी के अन्तर्गत ''हुलकी नृत्य'' को प्रथम स्थान मिला जबकि ओवरऑल कैटिगरी मे गौरमांदरी नृत्य'' ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।

पीठासीन मतदान अधिकारियों को विकास खण्ड स्तर पर द्वितीय चरण का दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/ रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के सुचारू संचालन के लिए ब्लाक स्तर पर मतदान दलों, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2 एवं 3 को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 14 और 15 दिसम्बर को विकास खण्ड सारंगढ़, लैलूंगा, धरमजयगढ़, बरमकेला, किरोड़ीमल नगर और सरिया में दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने मतदान अधिकारी को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया। साथ ही मतपेटी सीलिंग, मतदान केन्द्रों में मतदान के पूर्व की तैयारी, विभिन्न प्रपत्रों को भरने के बारे में बताया गया है। साथ ही निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

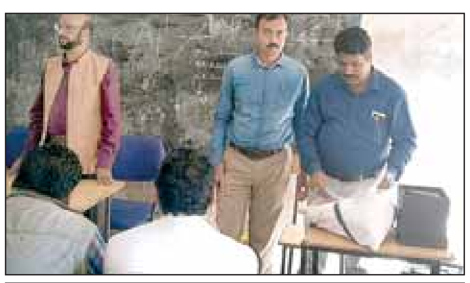

मतगणना के लिए ब्लाक स्तर के मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के सुचारू संचालन के लिए आज अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.ए.कुरूवंशी की उपस्थिति में मतगणना के लिए लिए ब्लाक स्तर के मास्टर ट्रेनर को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कुरूवंशी ने बताया कि 24 दिसम्बर को केआईटी कालेज गढ़उमरिया में मतगणना होगी। सभी मास्टर ट्रेनर को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर धूम्रपान करना वर्जित रहेगा।

प्रशिक्षण में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल और

अनिल गुप्ता ने मतगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक वार्ड में जितने भी मतदान केन्द्र होंगे उन सभी मतदान केन्द्रों की मतपेटियां उस वार्ड की मेज पर रखी जाएगी और मतपत्र को एक-एक करके खोलकर मतों की गणना करनी होगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतपेटियां गणना मेज पर प्राप्त होने के बाद काउंटिंग एजेंट को दिखानी होगी। साथ ही मतगणना सामग्री के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में प्रारुप 18, प्रारुप 21 और 22 प्रारूप 24 की जानकारी दी गई। मतगणना के लिए क्रम से मतपेटी आएगी और उसी क्रम से मतपेटी खुलेगी, खोलने के बाद सभी मतपत्र को काउंटिंग टेबल में रखना होगा, साथ ही वैध मतपत्र अवैध मतपत्र और नोटा मतपत्रों को अलग-अलग बने खाने में डालना होगा। प्रशिक्षण में मतगणना से संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मास्टर ट्रेनरों को दी गई।

धान खरीदी के कार्य को गंभीरतापूर्वक करें अधिकारी-कलेक्टर

» साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि रायगढ़ जिले में 79 समितियों के 123 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी 15 फरवरी तक की जानी है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित कराने एवं कृषकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए 123 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी नोडल

अधिकारी धान खरीदी की समुचित व्यवस्था नियमानुसार करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी धान खरीदी के कार्य को गंभीरतापूर्वक करें और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि धान खरीदी के लिए नियुक्त सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी व्यवस्थित तरीके से कार्य करेंगे और मिलर्स से उठाव भी उसी क्रम में होगा। बोरो के स्टॉक पंजी, निरीक्षण पंजी, हमाल रजिस्टर का भी परीक्षण करेंगे। धान खरीदी स्टॉक के भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि धान की नमी का आर्द्रता मापी यंत्र से परीक्षण करेंगे। 14 से 17 के बीच नमी होने पर ही खरीदी करेंगे उससे अधिक या कम होने पर नहीं लिया जाएगा। गुणवत्तायुक्त एवं साफ-सुथरे धान की खरीदी की जाएगी। मौसम के मद्देनजर धान सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल भी लगवायें। कलेक्टर यशंवत कुमार ने कहा कि सभी जगह में स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्ष में पूर्ण तैयारी रखें। सभी एआरओ स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम 2015 के तहत स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर संवित मिश्रा एवं अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

151 गांवों में मोबाईल के इस्तेमाल पर नक्सलियों ने लगाई पाबंदी

» नोटिस बोर्ड पर लिखा फरमान

सुकमा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे ओड़िशा के मलकानगिरी जिले के बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कट ऑफ एरिया में बसे 151 गांवों में दहशत बढ़ गई हैं। इस इलाके में नक्सलियों ने मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास मोबाइल मिला या इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे जन आदालत में मौत की सजा दी जाएगी। यह फरमान न केवल ग्रामीणों के लिए है बल्कि वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी है।

दहशत में लोगों ने अपने पास मोबाइल रखना छोड़ दिया है। नक्सलियों तथा गांजा तस्करों पर बढ़ते दवाब और मुखबिरी रोकने नक्सलियों ने इलाके में मोबाइल पर बैन लगा दिया है।

चित्रकोण्डा के कट ऑफ एरिया में विकास के लिए ओड़िशा सरकार ने इसे स्वाभिमान अंचल का नाम दिया है। वहीं शनिवार को इलाके के जोड़ाआम्बा पंचायत के हंतालगुड़ा गांव में बीएसएफ का पहला कैंप खोला गया है। कैंप के खुलने से स्थानीय ग्रामीणों ने भी उत्साह के साथ स्वागत किया है। विकास से अछूते इलाके में सरकार और पुलिस के बढ़ते कदम से युवा वर्ग भी काफी उत्साहित है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480